



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHUBANI SCORE, MADHUBANI

COURT FEE

Authorization No. 2027

प्रतर STAMP DUTY

00000

बिहार JUDICIAL



Rs. 0000020 - 5.4.2014

374146

BIHAR


**Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Two*Two*

"प्रूप 26"

(नियम 4क देखिए)

1587
25.00 (2)
05/04/2014

A.F. 8613



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) झंगारपुर लोकसभा निर्वाचन है (सदन दाम का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं मणि लाल साहू **पुत्र/पुत्री/पत्नी केशी साहू
आयु 69 वर्ष, जो झंगारपुर लोकसभा, धाना-खुटीना
जिला-भक्तपुरी

(डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं बहुजन समाज पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम झंगारपुर लोकसभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 3
के क्रम सं 262 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. मो. 9546027750 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

Harish Chandra साहू है।



Rupee 14/-

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के बौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रासिथति :


क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण बौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य



(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<u>शुन्य</u>
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं	<u>शुन्य</u>

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वांकत

शुन्य

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>शुन्य</u>
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<u>शुन्य</u>
(ग)	पूर्वांकत आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्योरे	<u>शुन्य</u>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :


शुन्य

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

शुन्य

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>शुन्य</u>
	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	<u>शुन्य</u>



(ग)	अधिरोपित दंड	<u>शुन्य</u>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	<u>शुन्य</u>

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी देव सुलहरीकी	आश्रित - 1 रमेश कृष्णाराम भौत्तम पुसार	आश्रित - 2 शुन्य	आश्रित - 3 शुन्य
(i)	हाथ में नकदी	₹ 25,000/-	5000 =	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा) जिसमें बचत खाते भी वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	Bank of Baroda Jaingarh 100, 372101000005386 R. 1,75,000/- 37210100001827 R. 56597 = 10 14312014		शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/ डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम		शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



Page No. 14
Date 8/2/94


(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं दितीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (सेक्टरियल करण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	साथ का चेन एवं एक छोड़ूनी 45,000 =	एक अरी होने का जैवर - 30000 = झारी का - 26000 = अब 600 रुपये	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	45,000 =	56,000 =	शुन्य	शुन्य	शुन्य

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	मरि या पली देव लक्ष्मी	आश्रित-1 रमेश कुमार	आश्रित-2 मोडेन्स प्रभु	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	मेघा-मुनस्पति प्रलभान्या सेल विनियोग खाता नं १५५ १५ एकड़	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



Ref. No. 10
8/2/74

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	15,00000/-	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	<u>हां</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	8 क्रोड़ी का 14,00000/-	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5800 करोड़ फुट	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>




Page No. 142

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5800 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1400000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० स०	विवरण	संघ	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Regd. No. 82/1977

	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	आय-कर शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	धनकर शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	सेवाकर शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	विक्रयकर शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	कोई अन्य शोध्य	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	<u>शून्य</u> —	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u> —

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :-

(क) स्वयं अनपकाश प्राप्त व्यतुर्थवर्गीय सेवक


(ख) प्रति या पत्ती प्राप्त व्यतुर्थवर्गीय

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिये अनुसार है :-

राजकीय प्राच्य विद्यालय, ललमनिया से सातवीं कक्षा उत्तीर्ण
वर्ष द्वात बहावी

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा

किया गया था, का ब्यौरा दें)



Ms. 14
8/2/94

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमारी मणि लाल साहू			
2	डाक का पता	श्राम-तोरियाडी, पो० + ज्याना- रुद्धी ना, जिला- मधुबनी			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	०७- लौकसना निर्वाचन क्षेत्र जिला-रुद्धी - बिहार राज्य			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	बहुजन सभापाठी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>शून्य</u>			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	<u>शून्य</u>			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	<u>शून्य</u>			
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	
	(ख) पति या पत्नी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	
	(ग) आश्रित	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां २०१५ (कुल मूल्य)	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>



ख	स्थावर आस्तियां	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लाग हो)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
9	दायित्व	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	<u>दोनों बहु</u>				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



N.R. NO.
82794

11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

लागू नहीं है।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05/04/2014 को सत्यापित किया गया।


अभिसाक्षी लाल सुहृद
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



मुम्बई
१८८९४

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रत्युत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9546027750

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है..... शून्य,

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... नहीं

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश

H.S.G. 14 सहित सूचना दें।



M. N.
8/11/94